न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

पत्रावली सं. 254 / 12 / 136 एलआर

1. दीनदयाल उम्र 40 साल } पुत्रगण स्व. ऑकारमल
2. रामपाल उम्र 52 साल

जाति बलाई निवासीगण दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीगण

ब ना म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादी

दावा बाबत उदघोषणा राजस्व रिकार्ड

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक— 31.07.2015

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि ख.नं. 78, 79, 79 / 728, 453 किता 4 कुल रकबा 2.21 है0 वाके ग्राम रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जो कि वादीगण की उनके पिता एवं दादा के समय से ही पैत्रिक कब्जे कोशत की रही है तथा वर्तमान में वादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त है तथा लगातार व निर्बाध रूप से काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण की वंशावली इस प्रकार से है—

माना पुत्र बींजा (मृतक)

↓

ओंकारमल दतक पुत्र माना

↓

मोहनीदेवी(फौत) रामपाल(पुत्र) दीनदयाल(पुत्र)
वादी सं. 2 वादी सं. 1

वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित उपरोक्त कृषि भूमियां वादीगण के पूर्वज (दादा) माना की कब्जे काश्त एवं खातेदारीशुदा थी। उक्त माना के कोई जायन्दा संतान नहीं होने से माना ने प्रार्थीगण / वादीगण के पिता आंकार को अपने जीवनकाल में गोद पुत्र ग्रहण किया जो कि ग्राम पंचायत, दांतारामगढ द्वारा दिनांक 15.12.1963 को जारी रायल्टी मुक्ति प्रमाण पत्र, ग्राम सेवा सहकारी समिति दांतारामगढ द्वारा दिनांक 17.11.1983 को जारी ऋण वसूली मांग पत्र व अन्य रिकार्ड व दस्तावेजात से साबित है। वादीगण के पूर्वज माना की मृत्यु दिनांक 15.6.1970 को हो चुका है एवं माना की मृत्यु के बाद विवादास्पद भूमियां वादीगण के पिता ओंकारमल की कब्जे काश्त की रही एवं उक्त ओंकारमल की मृत्यु भी दिनांक 25.02.1984 को हो चुकी है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त भूमियों की

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

खातेदारी आज भी उक्त मृतक माना पुत्र बींजा के नाम से ही दर्ज है जबकि मृतक माना के वादीगण के अलावा अन्य कोई वारिस नही है। राजस्व रिकार्ड मे विधिवत उद्घोषणा करवाने के अधिकारी है एवं वादीगण द्वारा वाद पेश किया जाना लाजिमी हुआ है। आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने वादीगण के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र डिक्री किये जाने की इस्तदुआ चाही गई।

4. हमने वादीगण के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2066–69 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात ख.नं. 78, 79, 79/728, 453 किता 4 कुल रकबा 2.21 है0 की खातेदारी माना पुत्र बींजा कौम बलाई सा.देह के नाम से है। ग्राम पंचायत, दांतारामगढ द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 19.01.96 की नकल के अनुसार खातेदार मानाराम पुत्र श्री बींजाराम बलाई फौत हो चुके है उनके वारिस श्री ओंकार मल पुत्रश्री नुन्दाराम बलाई दतक पुत्र श्री मानारमा थे श्री ओंकार मल का भी आजल से 7 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है उनके वारिस जायंदा पुत्र श्री रामपाल, दीनदयाल पुत्र श्री ओंकारमल बलाई एवं श्रीमती मोहनीदेवी बेवा श्री ओंकार मल बलाई निवासी दांतारामगढ है इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। दिनांक 04.8.90 को प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है जिसकी पंचायत रिकार्ड से नकल दिनांक 1901.96 को ली हुई पेश की है। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.11.2008 के अनुसार श्रीमती मोहनीदेवी पत्नी ओंकार मल का निधन दिनांक 03.9.2007 को हो चुका है। उपरोक्त विवरण के अनुसार विवादित आराजियात ख.नं. 78, 79, 79/728, 453 किता 4 कुल रकबा 2.21 है0 वाके ग्राम रामगढ के वारिसान वादीगण दीनदयाल व रामपाल पुत्रगण ओंकारमल ही है एवं इनका विवादित आराजियात पर कब्जे काश्त साबित है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं विवादित आराजियात 78, 79, 79/728, 453 किता 4 कुल रकबा 2.21 है0 वाके ग्राम रामगढ तहसील दांतारमागढ जिला सीकर से खातेदार माना पुत्र बींजा जाति बलाई निवासी रामगढ का नाम हजफ किया जाकर उनके स्थान पर वादीगण दीनदयाल व रामपाल पुत्रगण स्व. ओंकारमल जाति बलाई निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो। पर्चा डिक्री जारी हो। तदनुसार तहसीलदार, दांतारामगढ को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 31.07.2015 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

दीनदयाल आदि बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार आदि

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड संशोधन

मुकदमा नं0 254 / दावा / 20132 निर्णय दिनांक 31.07.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड़ आरएएस बहाजरी श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील मिनजानिब मुद्दई श्री — मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है व विवादित आराजियात 78, 79, 79 / 728, 453 किता 4 कुल रकबा 2.21 है0 वाके ग्राम रामगढ तहसील दांतारमागढ जिला सीकर से खातेदार माना पुत्र बींजा जाति बलाई निवासी रामगढ का नाम हजफ किया जाकर उनके स्थान पर वादीगण दीनदयाल व रामपाल पुत्रगण स्व. ओंकारमल जाति बलाई निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो। तद्नुसार तहसीलदार, दांतारामगढ को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग........ बाबत .... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 जुलाई, 2015 को जारी की गई।

मोहर दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकायलतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	3	00			
मीजान	6	00	मीजान		

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

पत्रावली सं. 254/12/136 एलआर

1. दीनदयाल उम्र 40 साल } पुत्रगण स्व. ओंकारमल
2. रामपाल उम्र 52 साल

जाति बलाई निवासीगण दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादीगण

ब ना म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादी

दावा बाबत उदघोषणा राजस्व रिकार्ड

उपस्थिति–

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक– 31.07.2015

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ